न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति. संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 54/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक : 23.03.2022
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

चन्द्रप्रकाश आत्मज किशनलाल धाकड़ निवासी ग्राम डूंगरज्या, तहसील दीगोद, जिला कोटा

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दयाराम सेन अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 26.09.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 30/2019 बउनवान चन्द्रप्रकाश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा ग्राम डूंगरज्या के खसरा सं0 668 रकबा 0.04 है0 राजकीय भूमि किस्म गे0मु0 रास्ता पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 26.02.2018 से 150/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 22.01.2020 से अतिक्रमित भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज होने से तथा अपीलार्थी के द्वारा चाहा गया अनुतोष सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर प्राप्त किये जाने से उक्तानुसार अपील अपीलांट खारिज की गई।

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि दोनो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को देखे बिना ही मात्र वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है और न हीं पूर्व में कभी बेदखल किया गया है। पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली में मौजुद नहीं हैं। विवादित आराजी खसरा सं0 168 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा थी। उक्त आराजी में रोड़ निकल जाने से दो भाग मौके पर करीब 1 बीघा 10 बिस्वा रोड़ से उत्तर में शेष भाग दक्षिण रहकर हाल खसरा सं0 658 रकबा 0.74 है0 रह गया। जिसको अपीलांट ने खातेदार भैरूलाल से जरिये इकरारनामा दिनांक 21.10.2003 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। सेटलमेंट द्वारा उक्त भैरूलाल के खाते से कम कर 0.04 है को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा इस संबंध में एक प्रार्थना–पत्र संख्या 67/2011 में आराजी खसरा सं0 658 की पूर्व आराजी रकबी अनुसार रकबा दुरूस्त करने का प्रस्तुत किया गया, जिसको उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा स्वीकार करते हुये उक्त आराजी का पूर्व रकबा अनुसार 0.76 के स्थान पर 0.95 है0 कर दिया गया तथा अपीलांट के खाते उक्त आराजी का अंकन भी हो गया है। उक्त दुरूस्ती के बाद खसरा सं00 168 का रकबा 0.04 है0 स्वतः ही खत्म हो गया है। लेकिन उक्त तथ्य का अंकन पटवारी हल्का द्वारा नहीं किया गया। जबकि उक्त रकबा विलोपित किया जाना चाहिए था। उक्त त्रुटि के कारण ही अकारण अपीलांट को आराजी पर अतिक्रमी माना गया। अपीलांट अपने खाते की आराजी पर ही काबिज है तथा वर्तमान खसरा सं0 168 रकबा 0.04 है गै0मुमकिन रास्ता वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में है, वह अपीलांट की ही आराजी का भाग है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड अनुसार अपीलांट के हिस्से व खाते की आराजी मानी जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने

आयुक्त
कोटा

संबंधी कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे। विवादित आराजी खसरा सं0 168 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा थी। उक्त आराजी में रोड़ निकल जाने से दो भाग मौके पर करीब 1 बीघा 10 बिस्वा रोड़ से उत्तर में शेष भाग दक्षिण रहकर हाल खसरा सं0 658 रकबा 0.74 है0 रह गया। जिसको अपीलांट ने खातेदार भैरूलाल से जरिये इकरारनामा दिनांक 21.10.2003 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। सेटलमेंट द्वारा उक्त भैरूलाल के खाते से कम कर 0.04 है को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा इस संबंध में एक प्रार्थना–पत्र संख्या 67/2011 में आराजी खसरा सं0 658 की पूर्व आराजी रकबी अनुसार रकबा दुरूस्त करने का प्रस्तुत किया गया, जिसको उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा स्वीकार करते हुये उक्त आराजी का पूर्व रकबा अनुसार 0.76 के स्थान पर 0.95 है0 कर दिया गया तथा अपीलांट के खाते उक्त आराजी का अंकन भी हो गया है। उक्त दुरूस्ती के बाद खसरा सं00 168 का रकबा 0.04 है0 स्वतः ही खत्म हो गया है। लेकिन उक्त तथ्य का अंकन पटवारी हल्का द्वारा नहीं किया गया। जबकि उक्त रकबा विलोपित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी दीगोद के उक्त रकबा दुरूस्ती के बाद भी 0.04 है0 अभी भी पूर्वानुसार दर्ज चला आ रहा है। उक्त त्रुटि के कारण ही अकारण अपीलांट को आराजी पर अतिक्रमी माना गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड अनुसार अपीलांट के हिस्से व खाते की आराजी मानी जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा ग्राम डूंगरज्या के खसरा सं0 668 रकबा 0.04 है0 राजकीय भूमि किस्म गे0मु0 रास्ता पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 26.02.2018 से 150/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 22.01.2020 से अतिक्रमित

26/09/2025

भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज होने से तथा अपीलार्थी के द्वारा चाहा गया अनुतोष सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर प्राप्त किये जाने से उक्तानुसार अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि वादग्रस्त रकबा 0.04 है0 पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है बल्कि उक्त रकबा अपीलांट की आराजी के बीच में सड़क निकल जाने से दर्ज हुआ, जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा उक्त रकबा दुरूस्ती किये जाने के उपरांत भी राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज चला आ रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबंध में तहसीलदार (भू.अभि.) दीगोद से वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 अनुसार वर्तमान में भी अपीलांट द्वारा चावल की फसल बोकर अतिक्रमण किया जाना जाहिर होता है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। अपीलांट निरंतर राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत के काबिज होने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2022 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

26/09/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति.संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा